दैनिक भास्कर

पटना, रविवार, 16 दिसंबर, 2018

रेरा ने 31 तक परियोजनाओं के खाते की जानकारी मांगी

पटना|रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने उन बिल्डरों और प्रमोटरों पर नकेल कसी शुरू कर दी है, जिसके प्रोजेक्ट रेरा में निबंधित हैं या जिन्होंने निबंधन के आवेदन दिया है। रेरा ने ऐसे बिल्डरों को 31 दिसंबर तक वित्तीय वर्ष 2017-18 का ऑडिटेड बैंक स्टेटमेंट जमा करने का आदेश दिया है। अपने आदेश में रेरा के सदस्य आरबी सहाय ने 31 दिसंबर तक चार्टर्ड एकाउंटेंट से अटेस्टेड ऑडिट रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। 31 दिसंबर के बाद रिपोर्ट जमा करने वालों को प्रतिदिन हज़ार रुपए का जुर्माना देना होगा। रेरा ने 15 सितंबर को ही सभी निबंधन परियोजनाओं के बिल्डर और प्रमोटर को ऑडिट रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था। रेरा के प्रावधानों के अनुसार बिल्डरों और प्रमोटरों को हर प्रोजेक्ट के लिए अलग-अलग बैंक एकाउंट खोलना अनिवार्य है, जिसमें प्रोजेक्ट की 70 फीसदी राशि जमा की जाएगी। इस राशि का इस्तेमाल संबंधित परियोजना में किया जाएगा।